

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक क्लर्क एवं S.O. मुकाम... बापड

... दीडाराम बनाम... वाजुराम करी

किस्म मुकदमा... वा. क्र. 111,128 ... 21/19 सन्... 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/01/19	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>पुनाराम</u></p> <p>ने यह प्राथीना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128</u> ... <u>REACT</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू रक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/02/19</u> को पेश हो।</p>	
25/02/19	<p>प्राथी वकील उपरिमत। विप्राथी/गिणी</p> <p>के नोटिस तामिल किये तामिल अज्ञात।</p> <p>इल्लयु टो कर पत्रावली दिनांक 28/05/19</p> <p>मीमाग पीठामिन कथिडादि डिग</p> <p>डाथी में वरल्लय टोने ले मिशाल</p> <p>इल्लयु टो कर अज्ञात दिनांक 28/05/19</p> <p>डो पैका टी/०२</p>	
28/05/19	<p>प्राथी वकील उपरिमत। विप्राथी/गिणी</p> <p>के नोटिस तामिल क्युडा जाल जिसे</p> <p>तामिल पत्रावली हीअ जाल। विप्राथी/गिणी</p> <p>कावजुड तामिल अनु उपरिमत। अज्ञात।</p> <p>सम्पन तीन बार आवाज लगाए जाई।</p> <p>कॉन्टिनुम आवाज 5.45 pm पर लगाई</p> <p>गई विप्राथी/गिणी त्वम या डनबी और</p>	

से कोई अधिकतर उपलब्ध नहीं हुआ सिवाय
उनके विरुद्ध एडवोकेट कार्यालय में खर्च
जानी है। प्रार्थी वकील की एडवोकेट बचत हुनी
गई, प्रार्थी के अधिकतर ने बताया की प्रार्थी
को अपने व्यवहारी व्यक्तियों के चाले और पत्रों
नेवम स्थापित उरवने आवश्यक है इसलिए
प्रार्थी का नेवम बनी आवेदन स्वीकार किया
जाए। नेवम बनी आवेदन किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिकतर के निवेदन
पर प्रार्थी का नेवम बनी आवेदन स्वीकार किया
जाए। एडवोकेट गिरा हो उमिरान् विद्युत्
किया जाय है व आवेदन किया जाय है कि
आप स्वयं या अपने अधिकतर वकील भी 20
अभिलेख सिरिष्ठ से प्रार्थी के व्यवहारी व्यक्तियों की
पत्रों नेवम बनी मॉडें पर कुछ जमा उठाए करें।
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
में, पत्रावली फॉर्मल सुधार हो, दर्ज नम्बर से
89 हो, दाखिल फॉर्मल हो।

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/.....308

दिनांक:- 28/05/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. टीकमाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर		1. राजुराम पुत्र हीराराम वगैरा 22 जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 21/19

आदेश

मौजा ग्राम मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 198, 213, 216 व 217 रकबा 28-15, 00-15, 51-18 व 00-10 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/.....309-313

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

दिनांक :- 28/05/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी टीकमाराम पुत्र धर्माराम
4. विप्रार्थीगण राजुराम पुत्र हीराराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिडा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर